# माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारिकरण योजना, फेज-01, झाँसी

**1. रिफंड प्रक्रिया**

योजना हेतु जिन आवेदकों के आवेदन असफल घोषित किए गए हैं, उनकी पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण द्वारा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में वापस कर दी गई है।

यदि धनराशि आपके संबंधित खाते में प्राप्त नहीं हुई है, तो आप किसी भी कार्यदिवस में झाँसी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

रिफंड प्राप्त न होने की स्थिति में State Bank of India -

**Shri Indrajeet Singh**

9140407445 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

**2. आवंटन उपरांत प्रक्रिया**

ई-लॉटरी प्रक्रिया में चयनित सफल आवेदकों के आवंटन-पत्र प्राधिकरण द्वारा 07 कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध कराए गए पते पर प्रेषित कर दिए जाएंगे।

यदि आवेदक को आवंटन-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वह झाँसी विकास प्राधिकरण के कार्यालय से भी अपना आवंटन-पत्र प्राप्त कर सकता है।

**3. भुगतान प्रक्रिया**

आवंटित भूखंड की 40% आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि समायोजित करने के पश्चात) आवंटन-पत्र की तिथि से 60 दिवस के भीतर जमा करना आवश्यक होगा।

शेष 60% धनराशि त्रैमासिक किस्तों के रूप में 13% साधारण ब्याज (विलंब की स्थिति में 16% ब्याज) सहित जमा करनी होगी।

यदि आवेदक एकमुश्त भुगतान करना चाहता है, तो उसे आवंटन-पत्र की तिथि से 60 दिवस के भीतर संपूर्ण धनराशि प्राधिकरण में जमा करनी होगी।

समस्त देय धनराशि प्राधिकरण की वेबसाइट jdaup.in पर जाकर Online Services → Pay Your Dues के माध्यम से ऑनलाइन (Debit/Credit Card, Net Banking, UPI) अथवा RTGS तथा DD/चेक हेतु ई-चालान निकालकर जमा की जा सकती है।